न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अमिता कुमारी कालीक (आर.ए.एस.) द्वारा [illegible]

प्रकरण संख्या—11/2021
प्रकरण प्रविष्टि दिनांक—06.10.2021
निर्णय दिनांक—05.12.2024

1. ओसाफ अहमद पुत्र जमील अहमद जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला कटाकान पुरानी टोंक तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. तारिक अहमद पुत्र जमील अहमद जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला कटाकान पुरानी टोंक तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. आमीन पुत्र यासीन खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम खेड़ूल्या तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. इस्माईल पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम खेड़ूल्या तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. छोटू खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम खेड़ूल्या तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक राज0

अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगण—श्री विवेक चौधरी एड0
अधिवक्ता अप्रार्थी—श्री कैलाश चौधरी एड0

आवेदन रास्ता दिलवाये जाने व नक्शा शीट में रास्ते की तरमीम किये जाने बाबत्

अन्तर्गत धारा 251—ए राज.टि.एक्ट. 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता दिलवाये जाने व नक्शा शीट में रास्ते की तरमीम किये जाने बाबत् पेश किया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमि आराजी ख0न0 2/1 रकबा 0.6575 हैक्ट., ख0न0 4/1 रकबा 0.5437 हैक्ट. व ख0न0 3 रकबा 2.7619 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम खेड़ूल्या, पटवार हल्का हाडीखुर्द तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुंचने हेतु कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण के खेत ख0न0 2/2, 4/2 के बीच से होकर आना जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज होने के कारण आने जाने में प्रार्थीगण को बाधा उत्पन्न करते है। कृषि यंत्रो को लाने ले जाने नही देते है। अनावश्यक रूप से

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

न करते है। प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर पहुंचने के लिए रास्ते की अतिआवश्यकता है। प्रार्थीगण के संलग्न नक्शे में दर्शाये गये डोटेड रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खेतो में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन कर फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अपनी उक्त वर्णित आराजी ख0न0 2/1, ख0न0 4/1 व ख0न0 3 वाके खेडूल्या, पटवार हल्का हाडीखुर्द पर पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 4/2 से फिट चौडाई का रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं तहसीलदार पीपलू से चाहे गये रास्ते की का निरीक्षण रिपोर्ट चाही गई। प्रतिपक्षीगण की ओर अधिवक्ता श्री कैलाश चौधरी एड. ने वकालतनामा मय जवाब कर निवेदन किया की अप्रार्थीगण टोंक के निवासी है, जो टोंक निवास करते है। जो की ग्राम डारडातुर्की से कर आते है। ग्राम डारडातुर्की व ग्राम खेडूल्या की तन के बीच मौके पर आम रास्ता बना हुआ है। जिससे ही पनी खातेदारी की भूमि को बोने जोतने के लिए आते जाते है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि जोतने के लिए रास्ता पलब्ध है और इसी रास्ते से आते जाते रहे है। प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद अप्रार्थीगण को हेरान रेशान करने की नियत सये प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो चलने योग्य नही है। अपितु खारिज किये जाने योग्य । प्रार्थीगण ग्राम डारडातुर्की व ग्राम खेडूल्या की तन से मौजूद रास्ते से सीधे अपने खेत पर आते जाते है। र्थीगण के पास रास्ता उपलब्ध है, लेकिन अप्रार्थीगण को जानबुझकर हेरान परेशान करने की नियत से प्रार्थना ा किया है, जो चलने योग्य नही है। अपितु खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण जहां से रास्ता मांग रहे है। हां पर मौके पर कोई रास्ता मौजूद नही है तथा इस रास्ते से प्रार्थीगण कभी भी आते जाते नही है। प्रार्थीगण को स्ते की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थीगण की भूमि ग्राम डारडातुर्की की सीमा के लगवा है। जहां तक पहुंचने लिए ग्राम डारडातुर्की व ग्राम खेडूल्या की तन से सीधा रास्ता बना हुआ है और उसी आम रास्ते से आते जाते । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की प्रार्थी का प्रार्थना त्र झूठा व मनगढंत तथ्यो के आधार पर न्यायालय को गुमराह कर पेश किया गया है, जो मुताबिक जवाब प्रार्थना त्र के प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार पीपलू से चाहे गये रास्ते की मौका निरीक्षण रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार पीपलू ने रिपोर्ट स्तुत कर कथन किया की प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर पहूंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई ख0न0 2/2 में 10 फिट एवं लम्बाई 454 फिट एवं ख0न0 4/2 में चौडाई 10 फिट तथा लम्बाई 454 फिट है। प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षैत्रफल 0.0842 हैक्ट. है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 5,27,110 रूपये प्रति हैक्ट. है। प्रस्तावित रास्ते की डी.एल.सी. दर 44,383 रूपये है। डी.एल.सी. की प्रति संलग्न है। दोगुनी दर से प्रतिकर राशि 88,766 रूपये है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ख0न0 2/2, 4/2 में से रास्ता चाहता है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया एवं नक्शा ट्रेस दो प्रतियो में संलग्न हैं। प्रस्तावित

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

...से बाद कोई आरक्षना नहीं है। अप्रार्थीगण रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता प्रस्तुत नक्शा
...से प्रभावित नहीं है।

तहसीलदार पीपलू से प्राप्त रिपोर्ट पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में
...ा कि भूमि आराजी ख0न0 2/1 व ख0न0 4/1 व ख0न0 3 भूमि वाके ग्राम खेडूल्या, पटवार हल्का हाडीखुर्द
...स्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुंचने हेतु कोई
... नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण के खेत ख0न0 2/2, 4/2 के बीच से
...र आना जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि
...की खातेदारी में दर्ज होने के कारण आने जाने में प्रार्थीगण को बाधा उत्पन्न करते है। भूमि ... को जाने से
... नहीं देते है। अनावश्यक रूप से परेशान करते है। प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर पहुंचने के लिए रास्ते
...अतिआवश्यकता है। प्रार्थीगण के पास संलग्न नक्शे में दर्शाये गये डोटेड रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता
...जूद नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेतो में से 30 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक
... अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अपनी उक्त वर्णित आराजी ख0न0 2/1,
...न0 4/1 व ख0न0 3 वाके ग्राम खेडूल्या, पटवार हल्का हाडीखुर्द पर पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी
...की आराजी ख0न0 2/2 व ख0न0 4/2 से 30 फिट चौड़ाई का रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण ने अपनी बहस में बताया की अप्रार्थीगण टोंक के निवासी है, जो टोंक निवास
...ते है, जो की ग्राम डारडातुर्की से होकर आते है। ग्राम डारडातुर्की व ग्राम खेडूल्या की तन के बीच मौके पर
...ा रास्ता बना हुआ है। जिससे ही अपनी खातेदारी की भूमि को बोने जोतने के लिए आते जाते है। प्रार्थीगण को
...नी भूमि जोतने के लिए रास्ता उपलब्ध है और इसी रास्ते से आते जाते रहे है। प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध
...े के बावजूद अप्रार्थीगण को हेरान परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण जहा से
...स्ता मांग रहे है। वहां पर मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है तथा इस रास्ते से प्रार्थीगण कभी भी आते जाते
...ही रहे है। प्रार्थीगण को रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि ग्राम डारडातुर्की की सीमा के
...ाया है। जहां तक पहुंचने के लिए ग्राम डारडातुर्की व ग्राम खेडूल्या की तन से सीधा रास्ता बना हुआ है और
...ी आम रास्ते से आते जाते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र झूठा
... मनगढ़ंत तथ्यो के आधार पर न्यायालय को गुमराह कर पेश किया गया है, जो खारिज किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी ने तहसीलदार पीपलू से प्राप्त मौका निरिक्षण रिपोर्ट पर मौखिक आपत्ति प्रस्तुत कर
...वैकल्पिक रास्ता हेतु कथन किया है, की मौके पर आराजी तक पहुंच हेतु रास्ता चालू है। जिससे होकर सभी
...काश्तकार आते जाते रहे। उक्त रास्ता नदी तक जाता है। अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता स्वयं तहसीलदार पीपलू एवं मय
...राजस्व टीम के साथ मौका निरिक्षण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। तहसीलदार पीपलू भू.अ.निरीक्षक बनठी
...एवं पटवार हल्का हाडीखुर्द के साथ उक्त विवादित आराजीयात का मौका निरिक्षण किया गया एवं तहसीलदार
...पीपलू को विवादित आराजीयात का मौका पर्चा बनाने हेतु निर्देशित किया गया। मुताबिक मौका पर्चा/रिपोर्ट
...अनुसार ख0न0 2/1, 4/1 व 3 पर पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग मौजूद है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण की

...उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

दारी की मेड से लगता हुआ नदी तक जाता है, जो ग्राम डारडातुर्की से खेड़ूल्या जाने वाली सडक से जुड़ा है। मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के अनुसार अन्य खातेदारी की जोत में से नया मार्ग दिये जाने हेतु संक्षिप्त जॉच के बाद यह धान होना आवश्यक हैं कि प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता हो तथा यह जोत में सुविधाजनक उपयोग भोग के लिए नहीं है। धारा 251–ए में खातेदार को पडौसी खातेदार की भूमि से रास्ता मांगने का प्रावधान हैं। तु यह भी देखा जाना चाहिए कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का स्वरूप बिगाड़ने के उद्देश्य से उक्त धान का उपयोग तो नहीं हो रहा है। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त मौका पर्चा दिनांक 22.11.2024 अनुसार र्थीगण को अपनी आराजी पर पहूंचने हेतु वेकल्पिक रास्ता मौजूद है। लिहाजा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नही है, परन्तु उक्त रास्ता कदीम से बारहमासी चालू है। जिससे उक्त एरिया के सभी काश्तकार अपनी राजीयात को आने जाने हेतु उपयोग उपभोग करते रहे है। उक्त रास्ता ग्राम डारडातुर्की–खेडूल्या की पक्की डक से लिंक है, जो नदी तक जाता है। रास्ता सार्वजनिक उपयोग उपभोग के लिए है। रास्ता प्रार्थीगण की मेड होकर जा रहा है। प्रार्थीगण की भूमि को उक्त रास्ता लिंक करता है। उक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है की र्थीगण द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को हेरान, परेशान करने की नियत से प्रार्थना पेश किया है। जिसका उद्देश्य मात्र प्रार्थीगण की खातेदारी का स्वरूप बिगाडने का स्पष्ट कारित होता है। स्पष्ट है की धारा 251–ए में खातेदार को डौसी खातेदार की भूमि से रास्ता मांगने का प्रावधान हैं। किन्तु यह भी देखा जाना चाहिए कि अप्रार्थीगण की तेदारी भूमि का स्वरूप बिगाड़ने के उद्देश्य से उक्त प्रावधान का उपयोग तो नहीं हो रहा है। अतः धारा 1–ए के अनुसार केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होने के प्रावधान, अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का रूप बिगाड़ने का उद्देश्य होना तथा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण नवीन मार्ग कायम किया जाना यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए थम दृष्ट्या सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 05.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल फ्तर हो।

(अमिता कुमारी खटीक आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू